न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण
राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 56/2024

1. रामेश्वरी देवी पत्नि श्री लालचन्द, जाति बेरवा, निवासी ग्राम नयागांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

–प्रार्थीया

बनाम

1. सूरजकरण पुत्र भागीरथ, जाति रेगर, निवासी ग्राम नयागांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
2. कैलाश पुत्र बजरंगदास, जाति साधू, निवासी– ग्राम सरगांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
3. गंगाधर बजरंगदास, जाति साधू, निवासी ग्राम सरगांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
4. गणपत पुत्र बिशनदास, जाति साधू, निवासी ग्राम सर्गांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
5. गोविन्द पुत्र बिशनदास, जाति साधू, निवासी– ग्राम सरगांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
6. छोटी पत्नि श्रीनारायण, जाति साधू निवासी जिला अजमेर। ग्राम सरगांव, तहसील किशनगढ़,
7. दशरथ पुत्र बजरंगदास, जाति साधू निवासी जिला अजमेर। ग्राम सरगांव, तहसील किशनगढ़,
8. शिवदत्त पुत्र बजरंगदास, जाति साधू, निवासी जिला अजमेर। ग्राम सरगांव, तहसील किशनगढ़.
9. सायरी पत्नि बिशनदास, जाति साधू, निवासी– ग्राम सरगांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
10. ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल, जाति साधू निवासी ग्राम सरगांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
11. कंचन देवी पुत्री बजरंगदास, जाति साधू, निवासी ग्राम सरगांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
12. केदारचन्द पुत्र बजरंगदास, जाति साधू, निवासी– ग्राम सरगांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेरः।
13. गणपत लाल त्यागी पुत्र बिशनदास त्यागी, जाति साधू, निवासी– ठाकुर जी के मंदिर के पास ग्राम सरगांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
14. गीता देवी पुत्री बंशीलाल, जाति साधू, निवासी– ग्राम सरगांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
15. सत्यनारायण, पुत्र बंशीलाल, जाति साधू निवासी ग्राम सरगांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर
16. संतोष पत्नि धरमवीर सिंह, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सरगांव, हाल निवासी–शिवाजी नगर, मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर।
17. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार किशनगढ़, जिला अजमेर।
18. पटवारी पटवार हल्का सरगांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री सुण्डाराम जाट

24/02/2025
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

वीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री सुण्डाराम जाट के द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर कथन किया प्रार्थीया की कृषि भूमि ग्राम रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव, भू–अभि० नि० क्षेत्र बरना, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में स्थित है जो कि अंतिम चौसाला आधार संवत 2068 से 2071 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) की स्थायी के खाता संख्या नया 304 पुराना 248 के खसरा संख्या 41 क्षेत्रफल 0.1699 हैक्टेयर का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खाता संख्या नया 46 पुराना 38 के खसरा संख्या 411/41 क्षेत्रफल 0.0890 हैक्टेयर का सम्पूर्ण हिस्सा भूमि प्रार्थीया की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया प्रारम्भ से आज तक निरन्तर व लगातार काब्जि काश्त करते चली आ रही है। एवं उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीया का उपयोग उपभोग निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। प्रार्थीया की भूमि के पडौस में पश्चिम दिशा नींव सींव से लगती हुयी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 40 जो कि ग्राम रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव, भू–अभि० नि० क्षेत्र बरना, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में स्थित है। तथा प्रार्थीया की भूमि के पडौस में उत्तर दिशा में नींव सींव से लगती हुयी अप्रार्थीगण संख्या 2 से 15 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 39 एवं 42 है जो कि ग्राम रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव, भू–अभि० नि० क्षेत्र बरना, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में स्थित है। तथा प्रार्थीया की भूमि के पडौस में दक्षिण–पूर्व दिशा में नींव सींव से लगती हुयी अप्रार्थी संख्या 16 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 394/12 जो कि ग्राम रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव, भू–अभि० नि० क्षेत्र बरना, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में स्थित है। अप्रार्थीया संख्या 1 से 16 आये दिन प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 41 एवं 411/41 की नींव, सींव, मेड़, डोल आदि को लेकर खेत की सीमा सम्बधि वाद–विवाद एवं लड़ाई–झगड़ा करते है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 अनावश्यक रूप से प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 41 एवं 411/41 की नींव, सींव, मेड़ को लेकर अनाधिकृत बलात कब्जा करने का प्रयास करते है तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त में बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न करते है। अप्रार्थीगण में से कुछ अप्रार्थीगण की भूमि यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरना जिला अजमेर एवं कॉपरेटिव बैंक लि० शाखा किशनगढ़ के यहां रहन रखी हुयी है लेकिन यह प्रकरण वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व एवं घोषणा से संबंधित वाद–विवाद नहीं है। इसलिए यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरना एवं कॉपरेटिव बैंक लि० शाखा किशनगढ़ इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं होने से पक्षकार नही बनाया गया है। इसके अलावा प्रार्थीया द्वारा उक्त यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरना एवं कॉपरेटिव बैंक लि० शाखा किशनगढ़ के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष भी नही चाहा गया है। इसी आधार पर उक्त बैंकों को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है।अप्रार्थीया संख्या 1 से 16 द्वारा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकोर्ड अनुसार मौके पर स्थित सीमाओं में विवाद एवं व्यवधान उत्पन्न करने का हक अधिकार नहीं है इसलिए भी प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में अंकित भूमि खसरा संख्या 41 एवं 411/41 की भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है ताकि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 41 एवं 411/41 पर अप्रार्थीया संख्या 1 से 16 द्वारा अनावश्यक अतिक्रमण ना करें, तथा सीमाओं का विवाद आदि भी नहीं हो। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी करवाने हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 द्वारा प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में अंकित भूमि खसरा संख्या 41 एवं 411/41 की सीमा को लेकर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

ाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीया द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब किशनगढ़ जिला अजमेर को उक्त भूमि की सीमाज्ञान कराने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर श्रीमान् तहसीलदार साहब किशनगढ़ के आदेशानुसार दिनांक 05.04.2024 को पटवारी हल्का सरगांव, भू०अभि० निरीक्षक सिलोरा द्वारा समस्त पडौसी खातेदारों एवं मौतविरान की उपस्थिति में उक्त भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान किया गया लेकिन सीमाज्ञान के उपरान्त भी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 प्रार्थीया के भूमि की सीमाओं में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करते रहते है। तथा आये दिन सीमाओं के विवाद को लेकर लड़ाई–झगड़ा व गाली–गलौच करते रहते है। इसलिए प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 41 एवं 411/41 की सीमाओं का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रार्थीया को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण तब उत्पन्न हुआ जब दिनांक 04.05.2024 को प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 41 एवं 411/41 के खेत को सपाट कर सींव पर नींव खुदाई का कार्य कर रही थी तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 व उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 41 एवं 411/41 की सीमाओं को लेकर विवाद किया तब प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 को निवेदन किया कि प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 41 एवं 411/41 से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 का कोई लेना देना संबंध व सरोकार नही है, तभी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 ने मौके पर प्रार्थीया के साथ गाली गलौच करना प्रारम्भ कर दिया तथा भूमि पर ब्लात कब्जा करने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 41 एवं 411/41 की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 17 व 18 की उपस्थिति में मय मय पुलिस पुलि इमदाद के प्रार्थीया की खातेदारी भूमि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित खसरा संख्या 41 एवं 411/41 की भूमि मौके पर पत्थरगढ़ी नही करवाई गयी तो प्रार्थीया को अपूर्तनीय क्षति होगी। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 प्रार्थीया के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 41 एवं 411/41 की सीमा पर आये दिन बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न करेगें, जिससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न होगें तथा वादों की बहुलता बढेगी। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने पर उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण संख्या 17 व 18 द्वारा करवायी जानी है इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 17 व 18 को पक्षकार बनाया गया है। अन्य कोई अनुतोष अप्रार्थीगण संख्या 17 व 18 के विरूद्ध नही चाहा गया है, अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 17 तहसीलदार किशनगढ़ जिला,अजमेर एवं अप्रार्थीया संख्या 18 पटवारी पटवार हल्का सरगांव को आदेश दिया जावे कि वे स्वयं खसरा संख्या 41 एवं 411/41 के मौके पर मय पुलिस इमदाद के जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 41 एवं 411/41 की पत्थरगढ़ी करावें। तथा माननीय न्यायालय प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजो के आधार पर अन्य कोई अनुतोष प्रार्थीया को दिलाना उचित समझे वह भी दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.05.2024 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 02.07.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से 16 व 18 के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुये किन्तु उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 31.07.2024 तक भी अप्रार्थी संख्या 01 से 16 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 09.12.2024 को

उपखण्ड अधिकारी

ी संख्या 17 का जवाब पेश हुआ जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीया अपनी ना को स्वयं सिद्ध करे। दिनांक 05.02.2025 को पैरोकार सरकार ने आदेशिका पर अंकन किया ; यदि वादअधीन भूमि का राजस्व नक्शा के अनुसार पत्थरगढी की जावे तो अप्रार्थी संख्या 17 को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 05.02.2025 को हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम रामपुरा की ढाणी पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 41 रकबा 0.1699 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 411/41 रकबा 0.0890 हैक्टैयर प्रार्थीया खातेदारी की आराजी है तथा तहसीलदार किशनगढ के द्वारा दिनांक 05.04.2024 वादअधीन भूमि का सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी उक्त आराजी खसरा संख्या 41 रकबा 0.1699 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 411/41 रकबा 0.0890 हैक्टैयर के रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थीया भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयाा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रामपुरा की ढाणी पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 41 रकबा 0.1699 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 411/41 रकबा 0.0890 हैक्टैयर भूमि का मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे मौके पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस रूपये 1,000/– रू0 तय किये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पडोसी खातेदारान को सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें । पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें, कब्जे की वर्तमान स्थिती में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 24/2/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)